# न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:– 23/2024 तारीख रजू :– 02.12.2024

पीठासीन अधिकारी :– पूजा मीना आर.ए.एस.

गंगाराम पुत्र धनीराम आयु 64 साल जाति बैरवा निवासी विशनपुरा चारण तहसील टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी (राज0)

वादी

**वनाम**

1. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर गंगापुर सिटी (राज0)
2. तहसीलदार टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी (राज0)

प्रतिवादी

**दावा बाबत् इन्द्राज दुरुस्ती अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम**

उपस्थित :– 1 श्री नन्दराम बैरवा एडवोकेट वादी

पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम प्रतिवादी

**निर्णय** दिनांक– 31/07/2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि खाता संख्या नया 24 में दर्ज आराजी हाल खसरा नम्बर 198 रकवा 0.65 है0 स्थित ग्राम विशनपुरा चारण तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी (राज0) है। जिसमें वादी सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार है। तहसील कर्मचारियों ने गफलत व लापरवाही से वादी के पिता का नाम धनीराम के स्थान पर दुल्या दर्ज कर दिया है जो गलत इन्द्राज किया है, जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वादी के समस्त सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक, वादी के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र में धनीराम दर्ज है जो सही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:43:26 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 28.11.2024 को वादी [illegible] जमाबंदी निकलवाई तथा हल्का पटवारी के पास केसीसी बनवाने के लिये गया [illegible] जाकर वादी को उक्त

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

गलत इन्द्राज का पता चला। उसी दिन तहसील टोडाभीम गये और तहसीलदार टोडाभीम से राजस्व रिकार्ड में हुई उक्त गलत इन्द्राज को दूरूस्त करने का निवेदन किया लेकिन तहसीलदार जी टोडाभीम ने राजस्व रिकार्ड में हुये उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने से मना कर दिया और वादी से न्यायालय में कार्यवाही करने को कहा जिस कारण यह दावा श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। दावा वादी इन्द्राज दुरूस्ती डिक्री किया जाकर हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी ग्राम विशनपुरा चारण में स्थित आराजीयात में वादी के पिता का नाम दुल्या को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर धनीराम दर्ज करने के आदेश दिये जाकर इसी अनुरूप समस्त राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अमल दरामद करने के आदेश प्रदान करे।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया है प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार उपस्थित हुये, पैराकार सरकार की ओर से जबाव प्रस्तुत किया कि तहसीलदार टोडाभीम की रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम विशनपुरा चारण में जमाबनदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 24 पर खसरा नम्बर 198 रकवा 0.65 है0 में गंगाराम पुत्र दुल्या जाति [illegible]वा के नाम दर्ज रिकार्ड है। हाल जमाबन्दी के ख0नं0 198 रकवा 0.65 है0 साबिक ख0नं0 148 रकवा 2 बीघा 10 विस्वा से बने है। साबिक जमाबनदी सम्वत् 2038–41 के खाता संख्या 24 पर खसरा नं0 148 रकवा 02 बीघा 10 विस्वा की खातेदारी गंगाराम पुत्र दल्या जाति चमार रिकार्ड दर्ज है। रिपोर्ट के साथ संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार धनीराम एवं दुल्या उर्फ दल्या एक ही व्यक्ति के नाम है। दुल्या उर्फ दल्या ग्राम में बोलता नाम है। प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, पेनकार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार दुल्या के स्थान पर धनीराम किया जाना उचित है। मैने अधिवक्तागण की बहस सुनी अधिवक्ता वादी अधिवक्ता द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी के पिता का नाम धनीराम है लेकिन रेवेन्यू रिकोर्ड दुल्या हो गया है जबकि मेरे समस्त दस्तावेजो मे मेरे पिता का नाम धनीराम है मैने दस्तावेजो मे आधार कार्ड, पैनकार्ड, पहचान पत्र आदि के दस्तावेज पेश किये पैरोकार तहसीलदार द्वारा अपने जबाब के कथनो का दोहराते हुए कथन किया कि उक्त आराजी में वादी के पिता का नाम [illegible]वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:43:26 IST
Reason: SelfAttested

मैने वादी वकील व पैरोकार सर[illegible] की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कि[illegible]। जमावंदी ग्राम विशनपुरा चारण के खाता संख्या नया 24 के ख0नं0 198 रकवा 0.65 है0 में वादी के पिता

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

का नाम दुल्या दर्ज है। तहसीलदार टोडाभीम की रिपोर्ट अनुसार धनीराम एवं दुल्या उर्फ दल्या एक ही व्यक्ति का नाम है। दूल्या उर्फ दल्या ग्राम में बोलता नाम है। उक्त दस्तावेजों तथा तहसीलदार टोडाभीम की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

**आदेश**

अतः ग्राम विशनपुरा चारण खाता संख्या 24 पर खसरा नम्बर 198 रकवा 0.65 है0 में वादी का नाम गंगाराम पुत्र दुल्या को हजफ कर गंगाराम पुत्र धनीराम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है वादी जमावंदी में दर्ज हिस्सा यथावत रहेगा। तहसीलदार टोडाभीम उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे।

यह निर्णय दिनांक 31/07/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:43:26 IST
Reason: SelfAttested